

न्यायालय उप जिला कलेक्टर

दिनांक	फर्द अहकाम
०१ $\frac{०५}{२१}$	<p>पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज के उपरान्त भी वकील प्रार्थी अनुपस्थित है। पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्डनुसार प्रार्थी के पिता का नाम बन्दीबस्त से पूर्व व बाद में समान ही इस्तेमाल द्वारा 136 LR Act के दायरे में नहीं आता है। प्रार्थी घोषणात्मक बाद के माध्यम से अनुलेप प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है प्रार्थी का प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: right;">७ ०१-०५-२१ (सुरेश कुमार यादव) उपखण आधिकाती हि० डौन (करोली)</p> 